# राजस्थान सरकार
## निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः आई.डी.एस.पी / कोरोना / 2020 / 995 दिनांकः [illegible]

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जयपुर—प्रथम

विषयः—धर्मशाला को अधिगृहण से मुक्त करवाने बाबत।
संदर्भः—प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कार्यालय का डायरी क्रमांक 6016 दिनांक 05.08.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित डायरी क्रमाक के द्वारा सह मंत्री, श्री पंचायती धर्मशाला, रेल्वे स्टेशन के पास सदर थाने के पीछे, जयपुर ने पत्र प्रस्तुत कर धर्मशाला परिसर को सामान्य यात्रियों के हित में क्वॉरेनटाइन सेन्टर के अधिगृहण आदेश से मुक्त कराने हेतु निवेदन किया है।

अतः पत्र की प्रति संलग्न है कि प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करवाने का श्रम करें, ताकि वस्तुस्थिती से उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया जा सके।

अति0 निदेशक (ग्रा0 स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः आई.डी.एस.पी / कोरोना / 2020 / दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (एस.ए.के.), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर को उनके डायरी क्रमांक निल 42434 दिनांक 04.08.2020 के क्रम में।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर को उनके डायरी क्रमांक 6016 दिनांक 05.08.2020 के क्रम में।
3. संयुक्त निदेशक, सीएमआईएस, निदेशालय मुख्यालय को उनकी अनोपचारिक टिप्पणी क्रमांक 875 दिनांक 19.08.2020 के क्रम में।
4. प्रभारी, सर्वर रूम को संबंधित को ई—मेल करने व वेबसाईट पर अपलोड करने वास्ते।
5. रक्षित पत्रावली।

अति0 निदेशक (ग्रा0 स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर।

Since 1917

# श्री पंचायती धर्मशाला

**आवासीय सुविधा रियायती दरो पर उपलब्ध**

रेलवे स्टेशन के पास, सदर थाने के पीछे, जयपुर-06 (राज.)
फोन : 0141-2201030, मो. : 9351371426
Web. : shreepanchayatidharmshala.com, E-mail : spdjaipur1917@gmail.com

क्रमांक SPD/78 दिनांक 29.07.2020

42434
4/8/2020

श्रीमान् अशोक जी गहलोत
माननीय मुख्य मंत्री
राजस्थान सरकार

रिमाइंडर पत्र संख्या -2

विषयः धर्मशाला को अधिग्रहण से मुक्त कराने बाबत।
सन्दर्भः जिला कलेक्टर आदेश पत्र क्रमांक विकास-1/मेडिकल( )2020/174-182 दिनांक 11.06.2020

महोदय

उक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलेक्टर के आदेश पत्र क्रमांक विकास-1 मेडिकल ( ) 2020/174-182 दिनांक 11.06.2020 के द्वारा धर्मशाला परिसर को "कोरनटाईन सेन्टर" के लिए अधिग्रहण कर लिया गया है।

श्री पंचायती धर्मशाला जयपुर रेलवे स्टेशन के समीप है और जयपुर आने वाले यात्रियों को सामान्य से भी कम किराये राशि पर उच्च गुणवत्तायुक्त आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाती है और यात्रियों से होने वाली आय से ही धर्मशाला परिसर का रख रखाव व वेतन आदि खर्चो का भुगतान किया जाता है, जो लगभग 635000/- रू. प्रतिमाह है।

श्रीमान् जी से निवेदन है कि धर्मशाला परिसर को सामान्य यात्रियों के हित में कोरनटाईन सेन्टर के अधिग्रहण आदेश से मुक्त कराने हेतु संबंधित अधिकारी जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर अधिग्रहण आदेश को निरस्त करने की कार्यवाही करवाने की कृपा करें एवं अधिग्रहित दिनों तक के लिए रख-रखाव, वेतन, बिजली आदि पर होने वाले असल खर्च का भुगतान दिलवाया जावें।

जो न्यायोचित है और संस्था का अधिकार भी।

सहयोग हेतु धन्यवाद।

निवेदन

(श्रीवल्लभ काबरा)
अध्यक्ष
मोबाईल नं. 8209405981

(नरेन्द्र कुमार जैन)
सह मंत्री
मोबाईल नं. 8118877544

संलग्नः पत्र संख्या SPD/65 दिनांक 26.06.2020 (मूल पत्र)

❖ वातानुकूलित एसी व नॉन एसी ❖ रंगीन टेलीविजन युक्त कमरें ❖ अग्रिम आरक्षण सुविधा ❖ लिफ्ट सुविधा ❖ शिवालय

# श्री पंचायती धर्मशाला

Since 1917

आवासीय सुविधा रियायती दरों पर उपलब्ध

रेलवे स्टेशन के पास, सदर थाने के पीछे, जयपुर-06 (राज.)
फोन : 0141-2201030, मो. : 9351371426
Web. : shreepanchayatidharmshala.com, E-mail : spdjaipur1917@gmail.com

क्रमांक SPD/65

दिनांक --------26.06.2020

श्रीमान् अशोक जी गहलोत
मुख्यमंत्री
राजस्थान सरकार

विषयः धर्मशाला को अधिग्रहण से मुक्त कराने बाबत।
सन्दर्भः जिला कलेक्टर आदेश पत्र क्रमांक विकास-1/मेडिकल ( )2020/174-182 दिनांक 11.06.2020

उक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्री पंचायती धर्मशाला जयपुर स्टेशन के समीप है और यात्रियों को सामान्य से भी कम किराये राशि पर उच्च गुणवत्तायुक्त आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, और यात्रियों से होने वाली आय से ही धर्मशाला परिसर का रख रखाव व वेतन आदि खर्चो का भुगतान किया जाता है जो लगभग 635000/- रु. प्रतिमाह है।

श्रीमान् जिला कलक्टर के आदेश पत्र क्रमांक विकास-1/मेडिकल ( )2020/174-182 दिनांक 11.06.2020 को आदेश पत्र से ज्ञात हुआ कि धर्मशाला परिसर को "कोरनटाईन सेन्टर" के लिए अधिग्रहण कर लिया गया है।

उक्त पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि वैश्विक कोरोना वायरस महामारी के चलते प्रबंध समिति ने सदर थाना अधिकारी के आग्रह पर धर्मशाला परिसर को प्रथम लॉकडाउन से ही पुलिस स्टाफ को रिहायस हेतु कमरे उपलब्ध करा दिये गये थे। धर्मशाला में 170 कमरे उपलब्ध हैं और प्रथम लॉकडाउन से अब तक 20-25 कमरे ही कोरनटाईन में उपयोग हो रहे हैं।

राज्य सरकार द्वारा 8 जून से दी गई छूट के बाद सदर थाना अधिकारी से आग्रह किया कि सेन्टर को स्थानान्तरित किया जावे ताकि धर्मशाला को सामान्य यात्रियों के लिए पुनः शुरू कर दिया जावें।

सदर थाना अधिकारी ने आश्वासन दिया कि 18 जून तक सेन्टर को स्थानान्तरित कर लेंगे। श्रीमान् जी से निवेदन है कि धर्मशाला परिसर को सामान्य यात्रियों के हित में कोरनटाईन सेन्टर के अधिग्रहण आदेश से मुक्त कराने हेतु संबंधित अधिकारी जिला कलक्टर को पत्र लिखकर अधिग्रहण आदेश को निरस्त करने की कार्यवाही करवाने की कृपा करें या अधिग्रहित दिनों तक के लिए रख-रखाव, वेतन, बिजली आदि पर होने वाले असल खर्च का भुगतान दिलवाया जावे, जो लगभग 635000/- रु. प्रतिमाह है।

जो न्यायोचित है और संस्था का अधिकार भी।
सहयोग हेतु धन्यवाद।

निवेदन

(श्रीबल्लभ काबरा)
अध्यक्ष
मोबाईल नं. 8209405981

नरेन्द्र जैन
(नरेन्द्र जैन)
सह मंत्री
मोबाईल नं. 8118877544

❖ वातानुकुलित एसी व नॉन एसी ❖ रंगीन टेलीविजन युक्त कमरें ❖ अग्रिम आरक्षण सुविधा ❖ लिफ्ट सुविधा ❖ शिवालय